श्रम विभाग

दिनांक 25 अक्तूबर, 1985

सं. ओ.वि./एफ.डी./135-85/43776.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. ए० पी० आई०. वेलिस इण्डिया लि०, 14/5, मथुरा रोड. फरीदाबाद, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फ़रीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामलें हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

(1) क्या संस्था के श्रमिक साल में दो जोड़ी टैरीकाट की वर्दी एवं एक जोड़ी कपड़े का (बाटा कम्पनी) का जूता एवं दो साल से एक सेट गर्म वर्दी के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

(2) क्या संस्था के सभी श्रमिक 100 रुपये प्रति माह कैण्टीन भत्ता लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

स. ओ. वि./एफ.डी./78-85/43788.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. एण्डी वूलन एण्ड सिल्क मिल्ज, प्रा० लि०, 14/3 मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या संस्था में श्रमिक साल में दो जोड़ा वर्दी लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

(2) क्या संस्था के सभी श्रमिक आकस्मिक छुट्टी के साथ-साथ साल में 7 सिक लीव लेने के हकदार हैं? यदि हां, तो किस विवरण से?

(3) क्या संस्था के प्रत्येक श्रमिक को प्रति दिन आधा किलो दूध एवं एक पाव गुड़ मिलना चाहिए? यदि हां, तो किस विवरण से ?

दिनांक 5 नवम्बर, 1985

स. ओ. वि./पानी/79-85/44591.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, एच०एस०एम० आई०टी०सी०, चण्डीगढ़; (2) कार्यकारी अभियन्ता, फेब्रीकेशन डिविजन, हरियाणा राज्य माईनर इरीगेशन ट्यूबवैल कारपोरेशन, करनाल, के श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णाय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक प्राधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं, न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेत निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रमिक श्री अशोक कुमार वेल्डर वरिष्ठता के आधार पर जिस तिथि से उससे कनिष्ट कर्मचारी पदोन्नत किये गये हैं उस तिथि से पदोन्नति का हकदार बनता है? यदि हां, तो किस विवरण से?